

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी.डी.डी. प्रमोदपुर, जयपुर, राजस्थान-302002

क्रमांक : एफ 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2019/

38646

जयपुर, दिनांक 3/07/19

संशोधन आदेश

पालनहार योजना संशोधन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधित नियम, 2007 के नियम 2 (7) में निम्न संशोधन एतद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
नियम-2 (7) अनुदान पात्रता	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिये किाया महिला स्वयं पालनहार होगी।	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिये विधवा महिला स्वयं पालनहार होगी एवं ऐसे वयस्क जो अपने अनाथ सगे भाई/बहन का पालन-पोषण करते हो, वह अपने सगे भाई/बहन हेतु पालनहार होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900606 दिनांक 12.06.2019 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते हैं।

(सांवर मल बर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15(3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2018/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं प्रालनार्थ:-

38647-840

जयपुर, दिनांक 3/07/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सभेकित बाल विकास सेवाएँ, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त माननीय आयुक्त
11. समस्त जिला कलेक्टर

15. वितीय सलाहकार, सा.सु.ओ. मुख्यदफ्तर।
16. समस्त अतिरिक्त निदेशक / उपनिदेशक, सान्याअवि, मुख्यदफ्तर।
17. निदेशक एंगलिस्ट (सामूहिक निदेशक), सान्याअवि, मुख्यदफ्तर। का: विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक, सान्याअवि.
19. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि.
20. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.)